



2026:AHC:32717

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1853/2026

नितेश कुमार (यादव)

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नितीश शाक्य, सौरभ त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना।
2. हालांकि, यह याचिका 22.01.2026 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता का तबादला किया गया था; परंतु आज कृपे निदेशक के हस्ताक्षर से दिनांक 12.02.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिनके अनुसार दिनांक 12.02.2026 का आदेश पारित होने के फलस्वरूप, दिनांक 22.01.2026 के आदेश का वापस ले लिया गया है।
3. इस चरण पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद ने निवेदन किया कि प्रत्यर्थियों को उचित आदेश पारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
4. न्यायालय की राय में, विधि के अनुसार स्वतंत्रता सदैव प्रत्यर्थियों के पास है।
5. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।
6. आज दाखिल किए गए निर्देशों को अभिलेख पर ले लिया गया है और उन्हें परिशिष्ट 'क' के रूप में चिह्नित किया गया है।

(माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।)

13 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"